प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.05.2025

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, 01 छीना हुआ मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 27,000/- रु0 बरामद।

आज दिनांक 12.05.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत साहिबाबाद रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति रेलवे स्टेशन की ओर से तेजी से आ रहे थे जिन्हें चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति मोटर साइकिल को मोड़कर तेजी से भागने लगे शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। पुलिस टीम को पीछा करते देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। जिससे बदमाश घायल होकर गिर गए। घायल बदमाश 1. दानिश पुत्र अखलाक कुरैशी निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद व 2. वीरू उर्फ वीरेंद्र पुत्र सतवीर सिंह निवासी आकाश बिहार राम विहार बन्थला थाना टीला मोड़ गाजियाबाद को 02 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, 01 छीना हुआ मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 27,000/- रु0 सहित गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में दिनांक 08.05.2025 को बैटरी व इनवर्टर की दुकान में लूट की घटना कारित की थी। दोनों अभियुक्तों उपरोक्त के कब्जे से लूट के 27,000/- रु0 बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दानिश पुत्र अखलाक कुरैशी निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद।

2. वीरू उर्फ वीरेंद्र पुत्र सतवीर सिंह निवासी आकाश बिहार राम विहार बन्थला थाना टीला मोड़ गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

02 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, 01 छीना हुआ मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 27,000/- रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद में लूट व स्नेचिंग से सम्बन्धित लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 11.05.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मेहताब उर्फ काला पुत्र दिलशाद निवासी कुम्हारो वाली गली मौ0 पठानान थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को वीनस ग्राउंट के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं इस चाकू का भय दिखाकर राह चलते लोगों से लूटपाट/चोरी करने की फिराक में घूम रहा था। मैं पूर्व में अफीम तस्करी व आर्म्स एक्ट के मुकदमों में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मेहताब उर्फ काला पुत्र दिलशाद निवासी कुम्हारो वाली गली मौ0 पठानान थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना मुरादनगर पर अफीम तस्करी/आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ट्रैक्टर व ट्रॉली बरामद ।

दिनांक 27.04.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर चालक द्वारा काम के बहाने ट्रैक्टर व ट्रॉली लेकर चले जाने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल धारा 316(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अवनीश उर्फ प्रशान्त बघेल पुत्र दुर्ग पाल सिंह राना निवासी ग्राम डहरपुर कलां,थाना दातागंज,जनपद बदायूँ, उम्र करीब 24 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 ट्रैक्टर व ट्रॉली बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी पर मेरे काम के पैसे थे वह मेरे पैसे नहीं दे रहा था इसलिए मैं उसका ट्रैक्टर व ट्रॉली लेकर चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अवनीश उर्फ प्रशान्त बघेल पुत्र दुर्ग पाल सिंह राना निवासी ग्राम डहरपुर कलां,थाना दातागंज,जनपद बदायूँ, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 ट्रैक्टर व ट्रॉली बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 05 चोरी के चार पहिया वाहन सहित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाँक-12/05/2025 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी चार पहिया वाहनों की चोरी करने व बेचने वाले अन्तर्राज्यीय वाहन चोरो के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 शातिर अभियुक्तों को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 01 मारूति स्विफ्ट कार, 01 मारूति स्विफ्ट डिजायर कार, 01 बलैनो कार, 02 वैगन-आर कार बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त अनिल ने बताया कि वह 8वीं पास है, पढाई छोडने के बाद छतरपुर दिल्ली में सब्जी / फलों का काम करने लगा। इसी बीच वर्ष 2015 मे वह एक मोटर साइकिल मैकेनिक लड्डू के सम्पर्क में आकर मोटर साइकिल चोरी करने लगा जिसमे वह पहली बार जेल गया था। जेल में उसकी मलाकात बसन्त कुँज दिल्ली के करन के साथ हुई जो कार चोरी करता था, अनिल उसके साथ कार चोरी करने लगा बाद में ये लोग पकडे गये और जेल चले गये। इसी बीच अनिल कई बार अलग-अलग गिरोह के साथ वाहन चोरी में जेल जाता रहा। वर्ष 2023 में अलीगढ जेल में इसकी मुलाकात लविश उर्फ शेरू जो क्वारसी अलीगढ का रहने वाला था और चार पहिया लग्जरी वाहनों की चोरी करता था से हुई, जेल से छूट कर दोनो ने वाहन चोरी का अपना एक अलग गैंग बना लिया जिसमें अनिल, लविश, जितेन्द्र उर्फ कन्हैया, यामीन व जाहिद शामिल है ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करने लगे। अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ कन्हैया ने बताया कि वह 7वीं फेल है। पढाई

छोडने के बाद ट्रक पर कंडक्ट्री करने लगा और धीरे-धीरे ड्राईवरी सीख ली तथा पूजा ट्रॉस्पोर्ट अलीगढ में ट्रक ड्राईवरी करने लगा, 6-7 साल तक काम करने के बाद काम छोड दिया कई जगह काम करने के बाद गाजियाबाद आ गया और विप्रो कम्पनी में अर्टिगा कार चलाने गला। परन्तु समय से सैलरी न मिलने के कारण वहाँ से काम छोड दिया अनिल जवाँ का ही रहने वाला है ये लोग बचपन से ही एक-दूसके को जानते है, अनिल नें जितेन्द्र को कार चोरी करने मे शामिल कर लिया जिसमें उसे काफी आमदनी होने लगी। अभियुक्त यामीन उर्फ भोलू उर्फ काला ने पूछताछ पर बताया कि वह 5वीं

तक पढा है, पढाई छोडने के बाद जाली गेट बनाने का काम सीखा था उस काम को कुछ समय करने के बाद भूसे का काम करने लगा। पहली बार 2014 मे बुलन्दशहर से तार चोरी मे जेल गया था। वर्ष 2019 में ट्रैक्टर चोरी में सिकन्द्राबाद बु0शहर से जेल गया था जहाँ इसकी मुलाकात खुर्जा के रहने वाले कार चोर अजय से हुई जिसने इसे चोरी की गाडियाँ देने लगा और ये उसे कटवा देता था जिसमे यह दिल्ली से जेल चला गया था। जेल में यामीन की मुलाकात अलीगढ से ट्राँस्फर पर आये प्रेम नामक अपराधी से हुई प्रेम ने यासीन को अनिल मे मिलवा दिया और इन लोगो ने चार पहिया वाहन चोरी करने वालों का एक गिरोह बना लिया।

अभियुक्त अनिल उपरोक्त ने बताया कि इन लोगों का वाहन चोरी करने व बेचने का एक संगठित गिरोह है गिरोह में हमारे अलावा लविश उर्फ शेरू व जाहिद सक्रिय सदस्य है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी गाडियों को उनकी मांग के अनुसार चोरी कर करते है, गाड़ी की डिमाण्ड जाहिद बताता हैं उसका कार का गैराज है। डिमाण्ड वाली गाडी की चोरी करने हेतु ये लोग कार से ही रैकी करते हैं और जब रैकी करने के बाद गाड़ी को चिन्हित कर लेते हैं, तब मौका देखकर ये लोग इलैक्ट्रॉनिक डिवाईस (टैब) के माध्यम से नकली चाबी बना लेते है और गाड़ी चोरी करके कुछ दूर जाने के बाद उसकी नम्बर प्लेट चेन्ज कर देते हैं और जीपीएस चैक करके उसको निकालकर फेक देते हैं। फिर चोरी की गाड़ी को अपने छुपाने के स्थानों पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं, बाद में जिन साथियों ने डिमाण्ड की होती है वह आकर उस गाडी को ले जाते है । गाडियाँ ले जाने के बाद जाहिद एक्सीडेन्टल व टोटल लॉस की गाडियों के इंजन व चेसिस नम्बर को इन चोरी की गाडियों पर नम्बर टैम्पर करके बेच देते है या उन गाडियों को काटकर उनके पार्टस अलग-अलग बेच देते है । जाहिद को हम लोग चोरी की एक गाडी 40 से 50 हजार रूपये मे देते है। इसमें जो भी फायदा होता था वह हम लोग आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर यह भी बताया कि जब हम गाड़ी चुराने आते थे तो उस समय पहचान छुपाने के लिए अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर-बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर पहले से तयशुदा स्थान पर इकट्ठा हो जाते थे और मोबाइलों को फ्लाइट मोड़ पर कर लेते थे। हम लोग आपस में व्हाट्स-एप पर ही मैसेज व कॉल करते थे, आपस में नोर्मल कॉल करने से बचते हैं।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा आसपास के राज्यों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है । अभियुक्तगण शातिर वाहन चोर है तथा 10-12 वर्षो से वाहन चोरी कर रहे है तथा पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी में जेल जा चुके हैं। अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों व चोरी की गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जनपद अलीगढ हाल पता सम्राट चौक, माता कालोनी विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

2.यामीन उर्फ भोलू उर्फ काला पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला ठाकुरान कुईया चौराहे के पास कस्बा व थाना ककोड जनपद-बुलन्दशहर उम्र करीब 35 वर्ष

3.जितेन्द्र कुमार उर्फ कन्हैया पुत्र कुँवरपाल निवासी जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जनपद अलीगढ हाल पता सम्राट चौक, माता कालोनी विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी:-

1.गाडी वैगन-आर रंग ग्रे बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन न0- DL 9CBA 5759, उत्तम नगर दिल्ली से चोरी)

2.गाडी स्विफ्ट रंग सफेद बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन न0- DL 9CBC 1633 मौर्या एन्कलेव पीतमपुरा दिल्ली से चोरी)

3.गाडी बलैनो रंग सफेद बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन न0- DL 8CBB 0764 नरेला दिल्ली से चोरी)

4.गाडी स्विफ्ट डिजायर रंग ग्रे बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 8CAT 2514 राजौरी गार्डन दिल्ली से चोरी)
5.गाडी वैगन-आर रंग सफेद फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई (चोरी की घटनाओं मे प्रयुक्त)
6.फर्जी नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहासः-

1.अनिल के विरूद्ध दिल्ली मे-24, हरियाणा में-04, अलीगढ में- 02, व गाजियाबाद में -01 कुल 31 अभियोग पंजीकृत है।
2.यामीन उर्फ भोलू उर्फ काला के विरूद्ध दिल्ली में 05, बुलन्दशहर में 05, गौतमबुद्धनगर में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 12 अभियोग पंजीकृत है।
3.जितेन्द्र उर्फ कन्हैया विरूद्ध दिल्ली मे 04 व गाजियाबाद में 01 कुल-05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.05.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि अनस पुत्र कोसम द्वारा वादी की बेटी का फोटो खींचकर एआई के माध्यम से क्रिएट करके उसे दिखाकर स्वयं व अपने दोस्त अनस पुत्र इरशाद के साथ चलने के लिये व शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए कहना व फोटो व वीडियो ग्रुपों में वायरल करने की धमकी देना जिससे वादी की बेटी द्वारा आत्महत्या की कोशिश करना तथा अनस की माता सरूना व पिता कोसम द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 352/351(2)/62 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनस पुत्र कोसम निवासी राकेश टेंट वाले के पास नाला रोड़ लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी मेरे घर के पास रहता है। मैं व मेरा दोस्त अनस पुत्र इरशाद वादी की पुत्री से दोस्ती करना चाहते थे लेकिन वह मना कर रही थी। मैंने व मेरे दोस्त अनस पुत्र इरशाद ने उसे धमका दिया था जिस कारण वह छत से कूद गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनस पुत्र कोसम निवासी राकेश टेंट वाले के पास नाला रोड़ लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

यातायात पुलिस द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया ।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा गाजियाबाद के शहर/देहात क्षेत्र में आमजन/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात एवं यातायात निरीक्षक पंचम जोन (मोहननगर क्षेत्र) द्वारा मोहननगर चौराहा पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के समबन्ध में जागरूक करते हुए दो पहिया वाहनों पर हेलमेट के महत्व को समझाते हुए हेलमेट का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे दो पहिया वाहन चालकों जिनके पास हेलमेट नहीं था, उनको निःशुल्क अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट वितरित किये गए एवं सड़क दुर्घटनाओं में बचाव हेतु दो पहिया वाहनों पर सदैव हेलमेट का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। आमजन एवं वाहन चालकों के द्वारा यातायात पुलिस के इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी| यातायात पुलिस द्वारा भविष्य में भी यह कार्यवाही अनवरत रूप से जारी रहेगी।

यातायात पुलिस आमजन व वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें।

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना कारित करने वाले 04 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, लूट से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व 45,000/- रूपये नगद बरामद ।

दिनांक 08.05.2025 को थाना साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र पाइप मार्केट में श्री वैभव जैन पुत्र स्व0 श्री नरेश कुमार जैन निवासी टी-2-801 पार्श्वनाथ रेगलिया जीटी रोड़ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद की बैटरी व इन्वर्टर की ध्रुव इलैक्ट्रानिक नाम की दुकान में 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर 1,50,000/- रु0 व 03 मोबाइल फोन लूटने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के अनावरण हेतु गठित स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आए 05 लुटेरों में से 02 लुटेरे 1. दानिश पुत्र अखलाक कुरैशी निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 2. वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र सतवीर सिंह निवासी आकाश विहार रामविहार

बन्थला थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 11/12.05.2025 की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तथा 02 अन्य 3. लुटेरे हैदर पुत्र फईयाद अली निवासी वंशराज स्कूल के पास गेट न0 1 म0न0 347 खन्ना नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष व 4. विशाल पुत्र राकेश कुमार निवासी सरस्वती विहार गली न0 2 जैनग्रुप बर्फ फैक्ट्री के पास नाईपुरा थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, लूट से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व 45,000/- रूपये नगद बरामद हुए तथा 01 अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त वीरू उर्फ विरेन्द्र उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथी दानिश, हैदर, विशाल एवं एक अन्य के साथ मिलकर दिनांक 08.05.2025 समय शाम करीब 4.50 बजे राजबाग मैट्रो स्टेशन के पास एक इन्वर्टर बैटरी की ध्रुव इलैक्ट्रानिक के नाम से दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर दुकान मालिक से 80,000/- रु0 तथा दुकान में मौजूद वैभव जैन एवं उनके यहाँ काम करने वाले 02 व्यक्तियों से 03 मोबाइल फोन लूटे थे। इस घटना की योजना वीरू उर्फ वीरेन्द्र द्वारा बनायी गयी थी। जिसमें अभियुक्त विशाल ने सूचना दी थी कि पाईप मार्केट साहिबाबाद में ध्रुव इलैक्ट्रानिक्स के नाम से एक इन्वेटर बैटरी की होल सेल की दुकान है। जिसका दुकान मालिक विकलांग है। जिसकी दुकान पर हर समय 20 से 25 लाख रूपये कैश रहता है, जिसे आसानी से लूटा जा सकता है। इसी कारण उक्त लूट की घटना को अंजाम दिया परन्तु दुकान में मात्र 80,000/- रू0 ही मिले।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. दानिश पुत्र अखलाक कुरैशी निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र सतवीर सिंह निवासी आकाश विहार रामविहार बन्थला थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
3. हैदर पुत्र फईयाद अली निवासी वंशराज स्कूल के पास गेट न0 1 म0न0 347 खन्ना नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
4. विशाल पुत्र राकेश कुमार निवासी सरस्वती विहार गली न0 2 जैनग्रुप बर्फ फैक्ट्री के पास नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

02 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, लूट से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व 45,000/- रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम